

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल


क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 962

भोपाल, दिनांक 2/4/2016

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 6.2.4, 6.3.3, 6.5.4, 6.6.2, 6.7, 6.7.1, 7.2.3, 14.3, 21.1, 21.2, 23.3, 40.3, 47.1.42, 48.1.1, 48.2.3, 49.5, 49.6, 52.1.3, 52.6, 61.1, 61.3, 61.8, 61.9, 65.2 एवं 74.2 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 2/4/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।



संलग्न :- सेवानियम, नीति नियम,
आचरण नियम एवं
मानव संसाधन नीति।

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 962
प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष श्रीवास्तव)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं म.प्र.

भोपाल, दिनांक 2/4/2016

2/4/16


पंजीयक

सहकारी संस्थाएं म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

बैंक सेवानियमों में संशोधन

क.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	6	6.2.4	सीधी भर्ती से भरे जान वाले पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानियम 6.3 एवं 6.2.1 के प्रावधानानुसार पात्रता आने पर सीधी भर्ती की जा सकेगी तथा बैंक में आरक्षण नियम लागू होने की स्थिति में आरक्षण नियम का पालन किया जावेगा।	सीधी भर्ती से भरे जान वाले पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानियम 6.3 एवं 6.2.1 के प्रावधानानुसार पात्रता आने पर सीधी भर्ती की जा सकेगी तथा बैंक में म.प्र. आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार आरक्षण नियम लागू होंगे। महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण म.प्र.शासन के नियमों के अनुसार लागू होंगे।	आंशिक संशोधन
		6.3.3	सामान्य सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर भर्ती अनुसूची - 5 में दर्शाई शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	सामान्य सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की भर्ती अनुसूची -5 में दर्शाई शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	आंशिक संशोधन
		6.5.4	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं धारित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं धारित करना आवेदक को अनिवार्य होगा। परंतु मृतक सेवायुक्त की पत्नी के अनुकंपा प्रकरण में पीजीडीसीए/डीसीए की शैक्षणिक योग्यता अगर धारित नहीं करती है, तो नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि में शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।	आंशिक संशोधन
		6.6.2	स्टाफ उप समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित संचालक में से सभी की सहमति से नियत संचालक द्वारा की जावेगी।	स्टाफ उप समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित संचालक में से सभी की सहमति से नियत संचालक द्वारा की जावेगी। बैठक के लिए स्टाफ उप समिति के कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, परन्तु यह और कि बैठक में सदस्य/सचिव के रूप में प्रबंध	आंशिक संशोधन



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continued


क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन कारण/रिमांक
				संचालक तथा शासकीय प्रतिनिधि/पंजीयक के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।	
	6.7	6.7.1	आयु सीमा कोई भी व्यक्ति बैंक में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह आवेदन की तारीख पर 18 वर्ष की आयु से अधिक तथा 35 वर्ष की आयु से कम का न हो, परन्तु अधिकतम आयु के संबंध में यह प्रतिबंध निम्न के लिये लागू नहीं होगा -	आयु सीमा कोई भी व्यक्ति बैंक में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह आवेदन की तारीख पर 18 वर्ष की आयु से कम का तथा 35 वर्ष की आयु से अधिक का न हो, परन्तु अधिकतम आयु के संबंध में यह प्रतिबंध निम्न के लिये लागू नहीं होगा -	त्रुटि सुधार
2	7	7.2.3	पदोन्नति का आधार (1) बैंक में पदोन्नति हेतु सामान्य चैनल एवं तेजपथ चैनल, 2 माध्यम होंगे, परन्तु वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर पदोन्नतियां केवल सामान्य चैनल से ही होंगी। विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा पदोन्नति में सामान्य चैनल एवं तेजपथ चैनल से पदोन्नति का अनुपात एवं प्रतिशत अनुसूची-6 पर संलग्न है। (2) सामान्य चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में वर्णित सेवावधि पूर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, जिसमें सेवायुक्त की गत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली, दंड (यदि कोई हो) तथा वर्तमान में प्रचलित विभागीय कार्यवाही को विचार में लिया जावेगा। इस हेतु जितने पदों पर पदोन्नति की जानी है, उससे दोगुना सेवायुक्तों पर पदोन्नति के समय विचार किया जावेगा। पदोन्नति हेतु अधीनस्थ एवं कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्यम प्रबंधन के पदों पर वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार	पदोन्नति का आधार (1) बैंक में पदोन्नति हेतु सामान्य चैनल एवं तेजपथ चैनल, 2 माध्यम होंगे, परन्तु वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर पदोन्नतियां केवल सामान्य चैनल से ही होंगी। विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा पदोन्नति में सामान्य चैनल एवं तेजपथ चैनल से पदोन्नति का अनुपात एवं प्रतिशत अनुसूची-6 पर संलग्न है। (2) सामान्य चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में वर्णित सेवावधि पूर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, जिसमें सेवायुक्त की गत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली, दंड (यदि कोई हो), वर्तमान में प्रचलित विभागीय कार्यवाही तथा किसी अपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिसमें चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित है, को विचार में लिया जावेगा। इस हेतु जितने पदों पर पदोन्नति की जानी है, उससे दोगुना सेवायुक्तों पर पदोन्नति के समय विचार किया जावेगा। पदोन्नति हेतु अधीनस्थ	पर्याप्त प्रावधान न होने से

06

h

Carton


क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन कारण / रिमाक
			<p>पर की जावेगी, परन्तु वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर उपयुक्तता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जावेगी।</p> <p>(3) तेजपथ चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में तेजपथ चैनल हेतु दर्शित न्यूनतम सेवावधि पूर्ण करने वाले सेवायुक्त बैंक प्रबंधन द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित करने पर आवेदन देंगे। ऐसे आवेदनों का परीक्षण कर सेवानियमों के अंतर्गत पदोन्नति हेतु पात्र सेवायुक्तों की एक लिखित परीक्षा आईबीपीएस/समान बाह्य एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जावेगी तथा उक्त परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर तेजपथ चैनल से पदोन्नति की जावेगी।</p> <p>(4) पदोन्नति हेतु अन्य संपूर्ण प्रक्रिया संचालक मंडल द्वारा पंजीयक की सहमति से पदोन्नति के नियम में निर्धारित की जावेगी, तदनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।</p> <p>(5) पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में जो न्यूनतम सेवावधि निर्धारित है, उसमें विविध परिस्थितियों में कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक मंडल पंजीयक की सहमति से शिथिलता प्रदान कर सकेगा।</p> <p>(6) पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवाओं की गणना के लिए कैलेण्डर ईयर को आधार माना जावेगा, परन्तु यदि किसी वर्ष में सेवायुक्त की 9 माह से अधिक सेवा है तो उसे पूर्ण कैलेण्डर ईयर माना जावेगा।</p>	<p>एवं कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्यम प्रबंधन के पदों पर वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जावेगी, परन्तु वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर उपयुक्तता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जावेगी।</p> <p>(3) तेजपथ चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में तेजपथ चैनल हेतु दर्शित न्यूनतम सेवावधि पूर्ण करने वाले सेवायुक्त बैंक प्रबंधन द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित करने पर आवेदन देंगे। ऐसे आवेदनों का परीक्षण कर सेवानियमों के अंतर्गत पदोन्नति हेतु पात्र सेवायुक्तों की एक लिखित परीक्षा आईबीपीएस/समान बाह्य एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जावेगी तथा उक्त परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर तेजपथ चैनल से पदोन्नति की जावेगी।</p> <p>(4) पदोन्नति हेतु अन्य संपूर्ण प्रक्रिया संचालक मंडल द्वारा पंजीयक की सहमति से पदोन्नति के नियम में निर्धारित की जावेगी, तदनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।</p> <p>(5) पदोन्नति हेतु अनुसूची-7 में जो न्यूनतम सेवावधि निर्धारित है, उसमें विविध परिस्थितियों में कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक मंडल पंजीयक की सहमति से शिथिलता प्रदान कर सकेगा।</p> <p>(6) पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवाओं की गणना के लिए कैलेण्डर ईयर को आधार माना जावेगा, परन्तु यदि किसी वर्ष में सेवायुक्त की 9 माह से अधिक सेवा है तो उसे पूर्ण कैलेण्डर ईयर माना जावेगा।</p>	



[Handwritten Signature]

Contin


क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
			(7) प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) रिक्त पदों का आकलन किया जाकर तदनुसार पदोन्नति के लिये स्टाफ कमेटी की बैठक आयोजित की जावेगी। (8) पदोन्नति प्राप्त सेवायुक्त को यदि बैंक की शाखाओं का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव नहीं है, तो उसकी पदस्थी पदोन्नति उपरांत शाखाओं में की जावेगी।	(7) प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) रिक्त पदों का आकलन किया जाकर तदनुसार पदोन्नति के लिये स्टाफ कमेटी की बैठक आयोजित की जावेगी। (8) पदोन्नति प्राप्त सेवायुक्त को यदि बैंक की शाखाओं का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव नहीं है, तो उसकी पदस्थी पदोन्नति उपरांत शाखाओं में की जावेगी।	
3	14	14.3	विशिष्ट अधिकारी समूह उप समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति की दशा में बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित संचालक में से सभी की सहमति से नियत संचालक द्वारा की जावेगी।	विशिष्ट अधिकारी समूह उप समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी; अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित संचालक में से सभी की सहमति से नियत संचालक द्वारा की जावेगी। बैठक के लिए विशिष्ट अधिकारी समूह उप समिति के कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, परन्तु यह और कि बैठक में सदस्य/सचिव के रूप में प्रबंध संचालक तथा शासकीय प्रतिनिधि/पंजीयक का प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।	आंशिक संशोधन
		21.1	अनुसूची-10 में संलग्न अनुलग्नक-1 में प्रस्तावित अनुसार		-
		21.2	अनुसूची-11 में संलग्न अनुलग्नक-2 में प्रस्तावित अनुसार		-
5	2	23.3	बैंक, सामान्यतः बैंक के प्रत्येक चौकीदार, भृत्य, जमादार तथा वाहन चालक को निम्नलिखित वर्दियां प्रदाय करेगा-	बैंक के प्रत्येक चौकीदार, भृत्य, जमादार, सफ़री, वरिष्ठ वाहन चालक, वाहन चालक, माली, स्वीपर, इलेक्ट्रिशियन, वरिष्ठ इलेक्ट्रिशियन, लिफ्टमेन, प्लंबर एवं सुरक्षा गार्ड को निम्नानुसार वर्दियां प्रदान की जायेगी -	समस्त अधीनस्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु वर्दी का प्रावधान नहीं होने से।
6	40	40.3	म.प्र राज्य सहकारी बैंक के सहायक महाप्रबंधक तथा केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक से उपर के अधिकारियों को छोडकर, बैंक के प्रत्येक सेवायुक्त को उपस्थिति के लिए आगमन एवं	म.प्र राज्य सहकारी बैंक के सहायक महाप्रबंधक एवं उससे उपर के अधिकारियों को छोडकर, बैंक के प्रत्येक सेवायुक्त को उपस्थिति के लिए आगमन एवं निर्गम पंजी पर हस्ताक्षर एवं समय या बायोमैट्रिक	त्रुटि सुधार



[Handwritten Signature]

contin -


क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन कारण / रिमाक
			निर्गम पंजी पर हस्ताक्षर एवं समय या बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन पर उँगली निशान अंकित करना होगा।	उपस्थिति मशीन पर उँगली निशान अंकित करना होगा।	
7	47	47.1.42	—	बैंक के आचरण नियमों के विपरीत कृत्य करना।	नवीन संशोधन
8	48	48.1.1	संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकना।	असंचयी / संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकना।	आंशिक संशोधन
		48.2.3	असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना।	असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकना।	आंशिक संशोधन
9	49	49.5	ऐसी स्थिति में जबकि किसी सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन हो, उसके अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों को (उपादान राशि को छोड़कर) अन्तिम विनिश्चय होने तक रोका जायेगा और यदि कोई हानि सेवायुक्त के प्रति प्रभारित होती है, तो ऐसी हानि ऐसे अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों से समायोजित की जायेगी, किन्तु सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरुद्ध सेवानिवृत्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि में ही आरोप पत्र जारी किया जा सकेगा / विभागीय जांच संस्थित की जा सकेगी। परन्तु जो भी स्थिति हो, सेवानिवृत्ति तिथि से चार वर्ष की अवधि में विभागीय जांच में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जावेगा, तो यह विभागीय जांच स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।	ऐसी स्थिति में जबकि किसी सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन हो, उसके अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों को (उपादान राशि को छोड़कर) अन्तिम विनिश्चय होने तक रोका जायेगा और यदि कोई हानि सेवायुक्त के प्रति प्रभारित होती है, तो ऐसी हानि ऐसे अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों से समायोजित की जायेगी। (क) विभागीय कार्यवाहियां यदि सेवायुक्त के सेवा में रहते हुये चाहे सेवा निवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हो तो इस नियम के अधीन सेवायुक्त के सेवा निवृत्ति के पश्चात भी कार्यवाहियां प्रचलित मानी जावेगी ओर वे जिस अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी उसी के द्वारा उसी प्रकार से जेसा कि सेवायुक्त सेवा में रहता; प्रचलित रहेंगी और निर्णित की जावेंगी। (ख) विभागीय कार्यवाहियां, सेवायुक्त के सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई तो (1) रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जावे; (2) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहले घटित	



[Handwritten signature]

Continued -


क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	कारण
10		49.6	यदि कोई सेवायुक्त; प्रारंभिक जांच, गौण कदाचार के अंतर्गत जारी सूचना पत्र, विभागीय जांच या अन्य किसी कारण के लिये अधिरोपित अभियोग के दौरान सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त हो जाता है तो जांच की प्रक्रिया सतत रहेगी और जांच की समाप्ति तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी इस बात के निर्देश होते हुये कि सेवायुक्त, सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त हो गया है सेवानियम के अधीन उपयुक्त निर्णय ले सकेगा। और आगे यह भी सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त सेवायुक्त के विरुद्ध उस सेवायुक्त के सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त होने के दो वर्ष की कालावधि के अंदर कार्यवाही अग्रसरित कर सकता है।	किसी प्रकरण के बारे में नहीं होगी; यदि कोई सेवायुक्त; प्रारंभिक जांच, गौण कदाचार के अंतर्गत जारी सूचना पत्र, विभागीय जांच या अन्य किसी कारण के लिये अधिरोपित अभियोग के दौरान सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त हो जाता है तो जांच की प्रक्रिया सतत रहेगी और जांच की समाप्ति तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी इस बात के निर्देश होते हुये कि सेवायुक्त, सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त हो गया है सेवानियम के अधीन उपयुक्त निर्णय ले सकेगा। और आगे यह भी सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त सेवायुक्त के विरुद्ध उस सेवायुक्त के सेवानिवृत्त/निष्कासित/पदच्युत/बर्खास्त होने के चार वर्ष की कालावधि के अंदर कार्यवाही अग्रसरित कर सकता है।	आंशिक संशोधन
11	52	52.1.3	सेवायुक्त, निलंबन की अवधि में अपने वेतन के आधे के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता को निलंबन भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। निलंबित सेवायुक्त सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उसके लिए निर्धारित मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा।	सेवायुक्त, निलंबन की अवधि में अपने वेतन के आधे के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता को निलंबन भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। साथ ही वह चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा। निलंबित सेवायुक्त सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उसके लिए निर्धारित मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा।	आंशिक संशोधन
		52.6	जांच उपरांत अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने पर सेवायुक्त को नियम 48.1 एवं 48.2 के अधीन दंडित किये जाने की स्थिति में वह निलंबन कालावधि के दौरान उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रकम के लिये हकदार नहीं होगा। यदि	(1) 52.6.1- संचयी प्रभाव सहित वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.1.1) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष की निलंबन कालावधि के दौरान सेवायुक्त उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त वह किसी अन्य रकम के लिये हकदार नहीं होगा एवं उसे	




06

Cambur


क.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
			<p>सेवायुक्त उसके विरुद्ध रचित आरोपों का दोषी नहीं पाया जाता है तथा सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है, तो सेवायुक्त निलंबन अवधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु यह भी कि निलंबन की कालावधि के दौरान सेवायुक्त किसी अन्य नियोजन या व्यवसाय में संबद्ध न रहा हो।</p>	<p>समानुपातिक वर्ष में वेतन वृद्धियां प्राप्त नहीं होगी। (2) 52.6.2—असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.2.3) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष में सेवायुक्त वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा इस प्रकार रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों की अवधि समाप्त होने पर सेवायुक्त एकमुश्त पूर्व की रोकी गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। (3) 52.6.3— सेवानियम क्रमांक 48.1.3, 48.1.4 एवं 48.1.5 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रकम के लिये हकदार नहीं होगा। (4) 52.6.4— सेवानियम क्र. 48.1.1, 48.2.2 एवं 48.2.4 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु यह भी कि निलंबन की कालावधि के दौरान सेवायुक्त किसी अन्य नियोजन या व्यवसाय में संबद्ध न रहा हो।</p>	



Continued



क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
12	61	61.1	अनुसूची-12 के वर्तमान में प्रचलित प्रावधान अनुसार	अनुसूची-12 के प्रस्तावित संशोधन अनुलग्नक - 3 अनुसार	अभ्युक्ति अंकित करने हेतु स्पष्ट प्रावधान करने हेतु
		61.3	यदि कोई अधिकारी जो महाप्रबंधक के समकक्ष हो और किसी कक्ष प्रमुख के रूप में महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यरत हो, तो महाप्रबंधक के स्थान पर उसके द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अभ्युक्ति अंकित करना चाहिये।	यदि कोई अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक के समकक्ष हो और किसी कक्ष प्रमुख के रूप में सहायक महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यरत हो, तो उनके द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अभ्युक्ति अंकित की जा सकेगी।	अन्य श्रेणी में समकक्ष अधिकारी का प्रावधान न होने से
		61.8	-	बैंक सेवायुक्तों की गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जावेगा। प्रारूप के निर्धारण हेतु बैंक के प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे।	नवीन संशोधन
		61.9	-	प्रथम अभ्युक्तिकर्ता से सेवायुक्त समकक्ष अथवा वरिष्ठ होने पर उनकी गोपनीय चरित्रावली में द्वितीय अभ्युक्तिकर्ता से प्रथम मतांकन किया जायेगा।	नवीन संशोधन
		65.2	65.2.3 सहायक महाप्रबंधक एवं इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त बैंक के प्रत्येक सेवायुक्त को उपस्थिति पंजी पर हर क्षण एवं समय तथा बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन पर उपस्थिति अंकित करना होगा।	65.2.3 म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के सहायक महाप्रबंधक के समकक्ष विशिष्ट अधिकारी एवं उससे उपर के अधिकारियों को छोड़कर, प्रत्येक विशिष्ट अधिकारी को उपरि उक्ति पंजी पर हरताक्षर एवं समय तथा बायोमैट्रिक उपस्थिति मशीन पर उपस्थिति अंकित करना होगा।	त्रुटि सुधार
14	74	74.2	यदि सेवायुक्तों से संबंधित किसी विषय के बारे में या उनके संबंध में इन सेवा नियमों में कोई उपबंध न हो, तो ऐसे मामले में मण्डल उस विषय का विनिश्चय करने के लिये सक्षम होगा।	यदि सेवायुक्तों से संबंधित किसी विषय के बारे में या उनके संबंध में इन सेवा नियमों में कोई उपबंध न हो, अथवा स्पष्ट प्रावधान न हो तो ऐसे मामलों में तत्संबंधी म.प्र.शासन के प्रावधान लागू होंगे।	प्रावधान स्पष्ट करने



06

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अनुसूची- 10

बैंक सेवानियम क्रमांक 21.1 की अनुसूची-10 शीर्ष बैंक सेवायुक्तों के लिये अन्य भत्ते की कंडिका (1) House Rent Allowance- (i) (d)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण / रिमार्क
<p>In case where accommodation is provided by the Bank to the employee up to JM-II no house rent allowance will be paid to them and no recovery will be made on account of house rent from them.</p>	<p>In case where 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' 'F' and 'Q' type of accommodation is provided by the Bank to the employee, no house rent allowance will be paid to them and recovery of monthly rent (Licence Fee) will be made on account of house rent.</p>	<p>आवास किराया नियमों में संशोधन के कारण</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Faint stamp]



अनुसूची- 11

बैंक सेवानियम क्रमांक 21.2 की अनुसूची-11 की कंडिका 'A' (शीर्ष बैंक सेवायुक्तों के लिए यात्रा भत्ता)

वर्तमान प्रावधान			प्रस्तावित संशोधन			संशोधन का कारण / रिमार्क
(A) Rail Journey			(A) Rail Journey			
(a)	For Support Staff	Sleeper class fare plus reservation charges & surcharges etc.	(a)	For Support Staff	Sleeper class fare plus reservation charges & surcharges etc.	
(b)	Basic Pay between Rs. 6800/- to Rs. 10000/-	Sleeper class fare plus reservation charges & surcharges.	(b)	Basic Pay between Rs. 11600/- to Rs. 15000/-	Sleeper class fare plus reservation charges & surcharges.	
(c)	Basic Pay between Rs. 10001/- to Rs. 18000/-	First class , AC Chair car, AC-III fare plus reservation charges and surcharges etc.	(c)	Basic Pay between Rs. 15001/- to Rs. 18000/-	First class , AC Chair car, AC-III fare plus reservation charges and surcharges etc.	
(d)	Basic Pay between Rs. 18001/- to Rs. 25000/-	AC-II class fare plus reservation charges & surcharges etc.	(d)	Basic Pay between Rs. 18001/- to Rs. 25000/-	AC-II class fare plus reservation charges & surcharges etc.	
(e)	Basic Pay above Rs.25001/-	AC-I class fare plus reservation charges & surcharges etc.	(e)	Basic Pay above Rs. 25001/-	AC-I class fare plus reservation charges & surcharges etc.	



Handwritten signature

अनुमोदन
Handwritten signature
अध्यक्ष, बैंक सेवायुक्तों के लिए यात्रा भत्ता

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के सेवायुक्त के (सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) सेवानियम
सेवानियम क्रमांक 61

शीर्ष बैंक सेवायुक्तों के लिये गोपनीय चरित्रावली/प्रतिवेदन :-

1. बैंक, प्रत्येक सेवायुक्त के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत में एक चरित्रावली निम्नलिखित रीति में बनाये रखेगा तथा वह निम्नानुसार प्रारंभ की जायेगी तथा बनाये रखी जायेगी

क.	पद स्तर	वह अधिकारी जो टिप्पणियों प्रारंभ करेगा	द्वितीय टिप्पणी	अंतिम टिप्पणी
1	वरिष्ठ प्रबंधन-1 महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक		अध्यक्ष / प्रशासक
2	वरिष्ठ प्रबंधन-2 सहायक महाप्रबंधक	महाप्रबंधक उपमहाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	अध्यक्ष / प्रशासक
3	मध्यम प्रबंधन-1 प्रबंधक	संबंधित कक्ष / विभाग प्रमुख (वरिष्ठ होने पर)	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
4	मध्यम प्रबंधन-2 उप प्रबंधक	संबंधित कक्ष / विभाग प्रमुख	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
5	कनिष्ठ प्रबंधन-1 सहायक प्रबंधक	संबंधित कक्ष / विभाग प्रमुख	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
6	कनिष्ठ प्रबंधन-2 लेखाधिकारी	संबंधित कक्ष / विभाग प्रमुख	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
7	बैंकिंग सहायक सहायक लेखाधिकारी सामान्य सहायक कनिष्ठ सहायक	संबंधित कक्ष / विभाग प्रमुख	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
8	संभागीय शाखा प्रबंधक	स.म.प्र. कार्मिक(वरिष्ठ होने पर)	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
9	शाखा प्रबंधक	स.म.प्र. कार्मिक(वरिष्ठ होने पर)	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
10	शाखा सेवायुक्त	शाखा प्रबंधक	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक
11	प्राचार्य संस्थान	प्रशिक्षण प्रबंध संचालक		अध्यक्ष
12	प्रशिक्षण सेवायुक्त	संस्थान प्राचार्य	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2. विशिष्ट अधिकारियों के लिये चरित्रावली निम्नानुसार बनाए रखी जायेगी -

क.	पद स्तर	वह अधिकारी जो टिप्पणियाँ प्रारंभ करेगा	द्वितीय टिप्पणी	अंतिम टिप्पणी
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बैंक	अध्यक्ष/प्रशासक जिला बैंक	संभागीय शाखा प्रबंधक, अपेक्स बैंक	प्रबंध संचालक
2	मु.का.अ. के अधीन कार्यरत शीर्ष बैंक के अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक महाप्रबंधक/प्रमुख निवास कक्ष	प्रबंध संचालक

- 3 यदि शीर्ष बैंक की संभागीय शाखाओं में पदस्थ शाखा प्रबंधक की गोपनीय चरित्रावली में प्रथम अभ्युक्तिकर्ता से शाखा प्रबंधक वरिष्ठ/समकक्ष है, तो गोपनीय चरित्रावली में प्रथम अभ्युक्ति द्वितीय अभ्युक्तिकर्ता द्वारा की जायेगी ।
- 4 महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के समतुल्य यदि कोई अधिकारी महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के पदस्थापन के तौर पर उस पर कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में मतांकन किया जा सकेगा ।
- 5 यदि सहकारिता विभाग का कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है, तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की प्रणाली सहकारिता विभाग के अनुदेशों के अनुसार होगी ।
- 6 निलंबन अवधि में सेवायुक्त की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के लिये कोई आकलन नहीं होगा । निलंबन अवधि समाप्त होने तथा सेवा में बहाल होने के बाद आवश्यकता होने पर निलंबन अवधि के पूर्व की गोपनीय चरित्रावली पर विचार किया जा सकेगा ।
- 7 चरित्रावली में की गई कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित सेवायुक्त को लिखित में संसूचित की जायेगी तथा ऐसी संसूचना चरित्रावली में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के तत्काल बाद लेकिन 60 दिवस की कालावधि के अंदर की जायेगी ।
- 8 वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अभिलिखित प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध सेवायुक्त द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन का निपटारा अंतिम टिप्पणी अंकित करने वाले अधिकारी से ठीक अगले उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
- 9 किसी सेवायुक्त द्वारा उसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में अंकित हुए विपरीत टिप्पणी के विपरीत दिये गये अभ्यावेदन पर विनिश्चय उस अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो कि उस सेवायुक्त की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के अंतिम टिप्पणीकर्ता अधिकारी से ठी अगली उच्च श्रेणी का अधिकारी होगा ।
- 10 सेवायुक्तों की चरित्रावलियाँ प्रशासन प्रभारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी जायेंगी तथा यह उनकी गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।




 21/4/16
 आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
 सहकारी संस्थाएं, मध्य प्रदेश

बैंक सेवानियम के नीति/नियम में संशोधन


चार पहिया/दो पहिया वाहन ऋण के संबंध में नीति/नियम

क्र.सं. क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण/रिमार्क
7	An officer who draws an advance for the purchase of a motor car is expected to complete his negotiation for the purchase of and pay finally for the car, within one month of the date on which he draws the advances failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn with interest thereon for one month must be refunded to the Bank. This condition should always be mentioned in letters sanctioning such advance.	An employee who draws an advance for the purchase of a motor car is expected to complete his negotiation for the purchase of and pay finally for the car, within one month of the date on which he draws the advances failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn with interest thereon for one month must be refunded to the Bank. This condition should always be mentioned in letters sanctioning such advance.	आंशिक संशोधन
8	At the time of drawing the advance the officer should be required to execute an agreement in form prescribed and on completing the purchase, he should further be required to execute a mortgage bond in form prescribed hypothecating the car to the Bank as a security for the advance. The cost price of the car should be entered in the schedule of specification attached to the mortgage bond.	At the time of drawing the advance the employee should be required to execute an agreement in form prescribed and on completing the purchase, he should further be required to execute a mortgage bond in form prescribed hypothecating the car to the Bank as a security for the advance. The cost price of the car should be entered in the schedule of specification attached to the mortgage bond.	आंशिक संशोधन
11	On receipt of the prescribed agreement, the Bank will obtain from the officer drawing the advance, a letter in the form prescribed to the motor Insurance Company with which the motor car is insured to notify to them the fact that Bank has interest in the insurance policy secured. He will himself forward the letter to the company and obtain their acknowledgement. In the case of insurance effected on annual basis, this process, should be repeated every year until the advance has been fully repaid to the Bank.	On receipt of the prescribed agreement, the Bank will obtain from the employee drawing the advance, a letter in the form prescribed to the motor Insurance Company with which the motor car is insured to notify to them the fact that Bank has interest in the insurance policy secured. He will himself forward the letter to the company and obtain their acknowledgement. In the case of insurance effected on annual basis, this process, should be repeated every year until the advance has been fully repaid to the Bank.	आंशिक संशोधन

[Handwritten Signature]

Continued

क्र.सं. क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन कारण/ रिमार्क
12	Contravention of these rules will render the officer liable to refund the whole of the amount advanced with interest accrued unless sufficient reasons is shown to the contrary. The amount for which the car is being insured during any period should not be less than the outstanding balance of the advance with interest accrued at the beginning of that period and the insurance should be renewed from time to time until the amount is completely repaid. If at any time and for any reason, the amount insured under a current policy is less than the outstanding balance of the advance including interest already accrued the officer should refund the difference to the Bank. The amount to be refunded must be recovered is not more than three monthly installments.	Contravention of these rules will render the employee liable to refund the whole of the amount advanced with interest accrued unless sufficient reasons is shown to the contrary. The amount for which the car is being insured during any period should not be less than the outstanding balance of the advance with interest accrued at the beginning of that period and the insurance should be renewed from time to time until the amount is completely repaid. If at any time and for any reason, the amount insured under a current policy is less than the outstanding balance of the advance including interest already accrued the employee should refund the difference to the Bank. The amount to be refunded must be recovered is not more than three monthly installments.	
14	(iii) The recovery of advance in respect of vehicle will be made in 72 monthly installment by deductions from the salary bill of the officer concerned, while, the installment for payment of advance for a second hand vehicle will be determined by the Bank depending upon the amount of loan, provided that the total deductions on account of all the loans and advances given by the Bank and the Employees, Cooperative Credit Society, of which he may be a member, does not exceed 1/2 of the total monthly emoluments of the employee concerned.	(iii) The recovery of advance in respect of vehicle will be made in 72 monthly installment by deductions from the salary bill of the employee concerned, while, the installment for payment of advance for a second hand vehicle will be determined by the Bank depending upon the amount of loan, provided that the total deductions on account of all the loans and advances given by the Bank and the Employees, Cooperative Credit Society, of which he may be a member, does not exceed 1/2 of the total monthly emoluments of the employee concerned.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

बैंक सेवानियम के नीति/नियम में संशोधन

कम्प्यूटर क्य करने हेतु ऋण नियम


क्र.सं.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण/रिमार्क
1	पात्रता	पात्रता स. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उनके कुल वेतनसे ऋण एवं अग्रिम का 50 प्रतिशत से अधिक कटौती होने पर कम्प्यूटर ऋण प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।	आंशिक संशोधन

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


आचार्य, सहायक एवं सहायक
सहायक, सहायक, सहायक



बैंक सेवानियम के नीति/नियम में संशोधन

बैंक आवास किराया वसूली/रिक्त के संबंध में नीति/नियम


क.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण/रिमार्क
1	<p>बैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारी, भोपाल से स्थानांतरित कर्मचारियों तथा बैंक ऋण से आवास निर्मित/कय करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनको भोपाल में बैंक के आवास आवंटित है को रिक्त कराये जाने अथवा बाजार दर से किराया वसूल करने के संबंध में नियम :-</p> <p>अ. <u>सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारी के संबंध में :-</u></p> <p>बैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारी द्वारा यदि समयावधि में बैंक का भोपाल स्थित उन्हें आवंटित आवास रिक्त नहीं किया जाता है तो बैंक प्रबंधन द्वारा इस संबंध में पूर्व में निर्धारित नीति (परिपत्र क्रमांक मप्र/मुख्या/4/प्रशासन/ 1941, दिनांक 31.07.91) मान्य की जाकर लागू की जाती है। उक्त के तहत निम्न निर्णय दिया जाता है :-</p> <p>1. सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि कर्मचारी द्वारा आवास रिक्त नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्ति से दो माह तक की अवधि के लिये आवास किराया वहीं वसूल किया जावेगा, जो उससे सेवानिवृत्ति के पूर्व वसूल किया जाता था।</p>	<p>बैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारी, भोपाल से स्थानांतरित कर्मचारियों तथा बैंक ऋण से आवास निर्मित/कय करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिन्हें बैंक के आवास आवंटित है तथा दिवंगत सेवायुक्त के आश्रित से बैंक आवास रिक्त कराये जाने अथवा बाजार दर से किराया वसूल करने के संबंध में नियम :-</p> <p>बैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/स्थानांतरित कर्मचारी एवं दिवंगत सेवायुक्त के आश्रित के संबंध में :-</p> <p>बैंक के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/ स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा आवंटित बैंक आवास 2 माह की समयावधि में तथा दिवंगत बैंक के आश्रित द्वारा सेवायुक्त की मृत्यु दिनांक से एक वर्ष की समयावधि (शासन के नियमानुसार) में बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रबंधन द्वारा निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है/कार्यवाही की जावेगी :-</p> <p>1. बैंक के सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/स्थानांतरण उपरांत यदि निर्धारित समयावधि 2 माह में बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो दो माह तक की अवधि के लिये आवास किराया वहीं वसूल किया जावेगा, जो उससे सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/स्थानांतरण के पूर्व या सेवा में रहते वसूल किया जा रहा था।</p> <p>1.1 दिवंगत बैंक सेवायुक्त के आश्रित द्वारा निर्धारित समयावधि एक वर्ष में बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो एक वर्ष तक की अवधि के लिये आवास किराया वहीं वसूल किया जावेगा, जो दिवंगत बैंक सेवायुक्त की सेवा के दौरान वसूल किया जा रहा था।</p>	<p>राज्य शासन द्वारा किराया दरों में परिवर्तन किये जाने से</p>



(Handwritten signature)

Combin

क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन कारण / रिमार्क																									
2.	सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह के अंदर आवास रिक्त करना अनिवार्य है ।	बैंक के सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/ स्थानांतरण की तिथि से दो माह में बैंक आवास रिक्त करना अनिवार्य होगा । इसके पश्चात बैंक आवास रिक्त नहीं किये जाने पर 6 माह की अवधि तक बाजार दर से आवास किराया वसूल किया जावेगा एवं उक्त समयावधि के पश्चात भी बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो बाजार दर से दुगुना आवास किराया वसूल किया जावेगा ।																										
2.1	3. सेवानिवृत्ति के दो माह पश्चात आवास रिक्त न करने पर बैंक द्वारा एक माह में आवास रिक्त करने का नोटिस दिया जावेगा । उसके पश्चात भी यदि आवास रिक्त नहीं किया जाता है तो निम्नानुसार बाजार दर से किराया सेवानिवृत्ति की दो माह की समाप्ति की तिथि से वसूल किया जावेगा ।	2.1 बैंक के दिवंगत सेवायुक्त के आश्रित द्वारा सेवायुक्त की मृत्यु दिनांक से एक वर्ष में बैंक आवास रिक्त करना अनिवार्य होगा । इसके पश्चात बैंक आवास रिक्त नहीं किये जाने पर 6 माह की अवधि तक बाजार दर से आवास किराया वसूल किया जावेगा एवं उक्त समयावधि के पश्चात भी बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो बाजार दर से दुगुना आवास किराया वसूल किया जावेगा ।																										
3.	3. सेवानिवृत्ति के दो माह पश्चात आवास रिक्त न करने पर बैंक द्वारा एक माह में आवास रिक्त करने का नोटिस दिया जावेगा । उसके पश्चात भी यदि आवास रिक्त नहीं किया जाता है तो निम्नानुसार बाजार दर से किराया सेवानिवृत्ति की दो माह की समाप्ति की तिथि से वसूल किया जावेगा ।	3. बैंक के सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/स्थानांतरण के दो माह पश्चात तथा दिवंगत बैंक सेवायुक्त के आश्रित द्वारा एक वर्ष की समयावधि उपरांत बैंक आवास रिक्त न करने पर निम्नानुसार बाजार दर से किराया वसूल किया जावेगा :-																										
3.1	<u>बैंक क्वार्टर्स की ब्लाक वाईज बाजार दर :-</u>	3.1 बैंक सेवायुक्त/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में बैंक क्वार्टर्स की ब्लाक वाईज दर :-																										
<p>ए- ब्लाक बी-ब्लाक सी, डी एवं एफ-ब्लाक ई-ब्लाक</p>	<p>रु. 2225.00 प्रतिमाह रु. 1860.00 प्रतिमाह रु. 1095.00 प्रतिमाह रु. 830.00 प्रतिमाह</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क</th> <th>आवास गृह का प्रकार</th> <th>सामान्य दर</th> <th>विशेष दर</th> <th>बाजार दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ए एवं क्यू ब्लॉक</td> <td>900.00</td> <td>1800.00</td> <td>9000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बी ब्लॉक</td> <td>600.00</td> <td>1200.00</td> <td>6000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>सी, डी एवं एफ ब्लॉक</td> <td>300.00</td> <td>600.00</td> <td>3000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ई-ब्लॉक</td> <td>100.00</td> <td>200.00</td> <td>1500.00</td> </tr> </tbody> </table>	क	आवास गृह का प्रकार	सामान्य दर	विशेष दर	बाजार दर	1	ए एवं क्यू ब्लॉक	900.00	1800.00	9000.00	2	बी ब्लॉक	600.00	1200.00	6000.00	3	सी, डी एवं एफ ब्लॉक	300.00	600.00	3000.00	4	ई-ब्लॉक	100.00	200.00	1500.00	
क	आवास गृह का प्रकार	सामान्य दर	विशेष दर	बाजार दर																								
1	ए एवं क्यू ब्लॉक	900.00	1800.00	9000.00																								
2	बी ब्लॉक	600.00	1200.00	6000.00																								
3	सी, डी एवं एफ ब्लॉक	300.00	600.00	3000.00																								
4	ई-ब्लॉक	100.00	200.00	1500.00																								
<p>सेवानिवृत्ति पश्चात उक्त अधिकारी/ कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की 25 प्रतिशत राशि रोक ली जावेगी तथा इस राशि का भुगतान आवास रिक्त करने के उपरांत ही किया जावेगा ।</p>	<p>उक्त निर्धारित सामान्य दर अनुसार बैंक सेवानियम की अनुसूची. 10 की कंडिका 1 (iii) के प्रावधानानुसार आवास का किराया वसूल किया जावेगा ।</p>	<p>Continued</p>																										

क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन कारण / रिमार्क																				
		<p>3.2 बाह्य संस्थाओं के सेवायुक्तों के संबंध में बैंक क्वार्टर्स की ब्लाक वाईज दर :-</p> <table border="1" data-bbox="1249 436 2499 691"> <thead> <tr> <th>क</th> <th>आवास गृह का प्रकार</th> <th>सामान्य दर</th> <th>बाजार दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ए एवं क्यू ब्लॉक</td> <td>3600.00</td> <td>9000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बी ब्लॉक</td> <td>2400.00</td> <td>6000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>सी, डी एवं एफ ब्लॉक</td> <td>1200.00</td> <td>3000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ई-ब्लॉक</td> <td>400.00</td> <td>1500.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. बैंक के दिवंगत सेवायुक्त के आश्रित / सेवानिवृत्त / सेवामुक्त सेवायुक्त को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि रोक ली जावेगी तथा इस राशि का भुगतान आवास रिक्त करने के उपरांत ही समस्त समायोजन उपरांत किया जावेगा ।</p> <p>5. यदि बैंक का सेवायुक्त का स्थानांतरण शैक्षणिक सत्र के मध्य में हो, तो उनके तथ्यात्मक निवेदन पर बैंक द्वारा शैक्षणिक सत्रावसान तक आवास धारित रखने की अनुमति दी जा सकेगी । शैक्षणिक सत्रावसान के पश्चात भी ऐसे सेवायुक्त द्वारा बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो उससे उक्त निर्धारित बाजार दर अनुसार आवास किराया वसूल किया जावेगा ।</p> <p>6. आवास धारित रखने की दी गई अनुमति की अवधि समाप्ति के पश्चात भी यदि आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो संबंधित सेवायुक्त के विरुद्ध बैंक द्वारा प्रशासनिक / बैंक आवास रिक्त की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।</p> <p>7. उक्त निर्धारित नीति के अतिरिक्त बैंक द्वारा अत्याधिक मात्रा में बैंक आवास रिक्त होने की स्थिति में बैंक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सामान्य दर से बैंक आवास आवंटित किया जा सकेगा ।</p> <p>8. बाह्य संस्था के सेवायुक्त को अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 6 माह के लिए आवंटित किया जावेगा । उक्त निर्णय लिये जाने हेतु बैंक के प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे । यह भी कि ऐसे सेवायुक्त को निर्देशित किये जाने के उपरांत यदि उसके द्वारा बैंक आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो उससे उक्त निर्धारित नीति अनुसार आवास किराये की वसूली करते हुये रिक्त की कार्यवाही की जा सकेगी ।</p>	क	आवास गृह का प्रकार	सामान्य दर	बाजार दर	1	ए एवं क्यू ब्लॉक	3600.00	9000.00	2	बी ब्लॉक	2400.00	6000.00	3	सी, डी एवं एफ ब्लॉक	1200.00	3000.00	4	ई-ब्लॉक	400.00	1500.00	
क	आवास गृह का प्रकार	सामान्य दर	बाजार दर																				
1	ए एवं क्यू ब्लॉक	3600.00	9000.00																				
2	बी ब्लॉक	2400.00	6000.00																				
3	सी, डी एवं एफ ब्लॉक	1200.00	3000.00																				
4	ई-ब्लॉक	400.00	1500.00																				

[Handwritten signature]

contin